"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2017—— कार्तिक 5, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-8/2004/1/5. — राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 11-8/2004/1/5 दिनांक 28-05-2010 द्वारा "पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान" के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु बनाए गए "पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार नियम 2004" के अनुक्रमांक-1 में प्रावधानित व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

(1) अधिसूचना दिनांक 28-05-2010 के अनुक्रमांक-1 में यह व्यवस्था है कि "निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन इस नियम की कंडिका (3) के उपबंधों के अधीन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा." को विलोपित करते हुए यह प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

"निर्णायक मंडल द्वारा किये गये अनुशंसा पर अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जावेगा"

क्रमांक एफ 11-8/2004/1/5. — राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 11-8/2004/1/5 दिनांक 28-05-2010 द्वारा "महाराजा अग्रसेन सम्मान" के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु बनाए गए "महाराजा अग्रसेन सम्मान नियम 2004" के अनुक्रमांक-1 में प्रावधानित व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

(1) अधिसूचना दिनांक 28-05-2010 के अनुक्रमांक-1 में यह व्यवस्था है कि "निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन इस नियम की कंडिका (3) के उपबंधों के अधीन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा." को विलोपित करते हुए यह प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

"निर्णायक मंडल द्वारा किये गये अनुशंसा पर अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जावेगा"

क्रमांक एफ 11-8/2004/1/5. — राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 11-8/2004/1/5 दिनांक 28-05-2010 द्वारा "यतियतन लाल सम्मान" के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु बनाए गए "यतियतन लाल पुरस्कार नियम 2004" के अनुक्रमांक-1 में प्रावधानित व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

(1) अधिसूचना दिनांक 28-05-2010 के अनुक्रमांक-1 में यह व्यवस्था है कि "निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन इस नियम की कंडिका (3) के उपबंधों के अधीन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा." को विलोपित करते हुए यह प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

"निर्णायक मंडल द्वारा किये गये अनुशंसा पर अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जावेगा"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.